न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः जीसीएमएस नं. 2021/126

1. नाहर सिंह पुत्र नौरंगराम जाट, जाति जाट निवासी ग्राम देसूसर, पटवार क्षेत्र प्रतापुरा बगड़, तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. भगवाना पुत्र सूरजा जाति मीना निवासी ग्राम देसूसर पटवार क्षेत्र प्रतापपुरा बगड तहसील व जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट विवादित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 448/342, 346, एवं 350 स्थित ग्राम देसूसर पटवार हल्का प्रतापपुरा बगड़ तहसील व जिला झुन्झुन के काबिज खातेदार है तथा उपखण्ड अधिकारी झुन्झनु ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतया एकपक्षीय क्षेत्राधिकार विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार एवं धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे उपखण्ड अधिकारी को अधिकार केवल सभी सहखातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही अधिकार प्राप्त है अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आज्ञा अपील सरासर कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाजायज व गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि विवादग्रस्त में से रास्ते के लिऐ भूमि बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया अपीलान्ट की खातेदारी में से हटाते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अमल दरामद करने का आदेश नाजायज व गैर कानूनी रूप से प्रदान किया है जो खिलाफ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावें।

अधिवक्ता रेसपोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 को अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय 3 माह में पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।